विश्व वन्यजीव दिवस 2023ः

यह दिन और अंतर्निहित CITES समझौता क्यों महत्त्वपूर्ण है।

इंडियन एक्सप्रेस

पेपर-III
(पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी)

3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस (डब्ल्यूडब्ल्यूडी) के रूप में जाना जाता है, जो वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय 'वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी' है। यह दिवस हमें अंतर-सरकारी से लेकर स्थानीय स्तर तक सभी स्तरों पर संरक्षण प्रयासों का जश्न मनाने की अनुमति देता है। इसे आगे समुद्री जीवन और महासागरों के संरक्षण में और व्यवसायों के साथ सहयोग करने और संरक्षण गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए विस्तारित किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर हम जैव विविधता में हुए नुकसान को उलटना चाहते हैं तो संरक्षण के लिए सफल साझेदारियों को व्यापार समेत अन्य तरीके खोजने होंगे।

विश्व वन्यजीव दिवस क्यों मनाया जाता है?

2013 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने दुनिया के जंगली जानवरों और पौधों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मनाने के लिए 3 मार्च को संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिन 1973 में वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कन्वेंशन (CITES) पर हस्ताक्षर किए गए थे। 3 मार्च को CITES की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ है। CITES को संरक्षण पर एक ऐतिहासिक समझौता माना जाता है जो लुप्तप्राय प्रजातियों की स्थिरता सुनिश्चित करने पर केन्द्रित है।

सीआईटीईएस क्या है?

CITES सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा न हो। इस मान्यता पर सहमति बनी थी कि "जंगली जानवरों और पौधों का व्यापार देशों के बीच सीमाओं को पार करता है, इसे विनियमित करने के प्रयास में कुछ प्रजातियों को अति-शोषण से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है।" यह जानवरों और पौधों की 37,000 से अधिक प्रजातियों को सुरक्षा की अलग-अलग श्रेणीं प्रदान करता है, जिसमें जीवित जानवरों और पौधों से लेकर उनसे प्राप्त वन्यजीव उत्पाद शामिल हैं, जिनमें खाद्य उत्पाद, विदेशी चमड़े के सामान, दवाएं आदि शामिल हैं।

वर्तमान में, भारत सहित सम्मेलन में 184 पक्षकार हैं। CITES का सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा प्रशासित है और यह जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। CITES के लिए पार्टियों का सम्मेलन कन्वेंशन का सर्वोच्च सर्वसम्मति-आधारित निर्णय लेने वाला निकाय है और इसमें इसके सभी पक्ष शामिल हैं। भारत में, केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अलावा, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो यह मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है जो विशेष रूप से देश में संगठित वन्यजीव अपराध का मुकाबला करने के लिए है। यह 1972 के वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम, CITES और निर्यात तथा आयात नीति शासी वस्तुओं के प्रावधानों के अनुसार वनस्पतियों और जीवों की खेप के निरीक्षण में सीमा शुल्क अधिकारियों की सहायता और सलाह देता है।

CITES कैसे काम करता है?

CITES के अंतर्गत आने वाली प्रजातियों को तीन परिशिष्टों में सूचीबद्ध किया गया है, जो उनकी सुरक्षा की श्रेणी के अनुसार है।

कैसे हुई विश्व वन्यजीव दिवस की शुरुआत?

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को, अपने 68वें अधिवेशन में वन्यजीवों की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने एवं वनस्पति के लुप्तप्राय प्रजाति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 3 मार्च को हर साल विश्व वन्यजीव दिवस मनाने की घोषणा की थी। वन्य जीवों को विलुप्त होने से रोकने के लिए सबसे पहले साल 1872 में वाइल्ड एलीफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पारित हुआ था।

विश्व वन्यजीव दिवस 2023 की थीम

विश्व वन्यजीव दिवस (World Wildlife Day) हर साल एक थीम के साथ मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस 2023 की थीम है "वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी" है। साल 2022 में विश्व वन्य जीव दिवस की थीम थी "पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को फिर से लागू करना"।

क्यों मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस?

वन्यजीवों से हमें भोजन तथा औषधियों के अलावा और भी कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। इसमें से एक है वन्यजीव जलवायु संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं। ये मानसून को नियमित रखने तथा प्राकृतिक संसाधनों की पुन:प्राप्ति में सहयोग करते हैं। पर्यावरण में जीव-जंतु तथा पेड़-पौधों के योगदान को पहचानकर तथा धरती पर जीवन के लिए वन्यजीवों के अस्तित्व का महत्व समझते हुए हर साल विश्व वन्यजीव दिवस अथवा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है।

विश्व वन्यजीव दिवस मनाने का उद्देश्य

इस दिवस को मनाने का मकसद बहुत ही साफ है कि दुनियाभर में जिस भी वजहों से वन्यजीव और वनस्पतियों लुप्त हो रही हैं उन्हें बचाने के तरीकों पर काम करना। पृथ्वी की जैव विविधता को बनाए रखने के लिए वनस्पतियां और जीव-जंतु बहुत जरूरी हैं। लेकिन पर्यावरण के असंतुलन और तरह-तरह के एक्सरपेरिमेंट्स के कुछ सारे जीव और वनस्पतियों का अस्तित्व खतरे में है।

- **परिशिष्ट I** में विलुप्त होने के खतरे वाली प्रजातियों को शामिल किया गया है। इन प्रजातियों के नमूनों में व्यापार की अनुमति शायद ही कभी "असाधारण परिस्थितियों" में दी जाती है, जैसे कि गोरिल्ला और भारत के शेर।
- **परिशिष्ट II** में ऐसी प्रजातियां शामिल हैं जो अनिवार्य रूप से विलुप्त होने के खतरे में नहीं हैं, लेकिन उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए व्यापार को नियंत्रित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, कुछ प्रकार की लोमड़ियों और दरियाई घोड़े।
- **परिशिष्ट III** में ऐसी प्रजातियां शामिल हैं जो कम से कम एक देश में संरक्षित हैं, जिसने अन्य सीआईटीईएस पार्टियों से व्यापार को नियंत्रित करने में सहायता के लिए कहा है, जैसे कि भारत से बंगाल लोमड़ी या गोल्डन जैकाल। प्रत्येक सूची में प्रजातियों के व्यापार में संलग्न होने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को श्रेणीवार दिया गया है।

वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES):

CITES, सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसमें वर्तमान में 184 सदस्य हैं, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली पशुओं और पौधों की प्रजातियों के अस्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये खतरे में न डाला जाए। इसका पहला सम्मेलन वर्ष 1975 में हुआ और भारत वर्ष 1976 में 25वाँ भागीदार देश बन गया।

वे देश जो CITES में शामिल होने के लिये सहमत हुए हैं, उन्हें पार्टियों के रूप में जाना जाता है। यद्यपि CITES पार्टियों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, दूसरे शब्दों में इन पार्टियों के लिये कन्वेंशन को लागू करना बाध्यकारी है लेकिन यह राष्ट्रीय कानूनों की जगह नहीं लेता।

CITES की आलोचना क्यों की जाती है?

एक तर्क कहता है कि वन्यजीवों को व्यापार करने की अनुमति देना उनके आंदोलन को और वैध बनाता है और उनके अवैध व्यापार की संभावना को बढ़ाता है। नेशनल ज्योग्राफिक ने जर्नल साइंस में 2019 के एक विश्लेषण का उल्लेख किया है, जो लगभग दो-तिहाई मामलों में पाया गया है कि एक प्रजाति के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा खतरे में पड़ने के बाद CITES सुरक्षा पिछड़ जाती है। उदाहरण के लिए, जबकि पैंगोलिन को आखिरकार 2017 में परिशिष्ट I में जोड़ा गया था लेकिन 2000 और 2013 के बीच अनुमानित मिलियन की तस्करी की गई थी।

साथ ही, कई जानवर जो वन्यजीव व्यापार में हैं, CITES द्वारा संरक्षित नहीं हैं। "यदि कोई पक्ष सम्मेलन का उल्लंघन करता है, तो सीआईटीईएस प्रतिबंधों का जवाब दे सकता है, जो देश को सीआईटीईएस-सूचीबद्ध प्रजातियों में व्यापार करने से रोकता है। लेकिन देशों को शायद ही कभी मंजूरी दी जाती है और इस प्रक्रिया का अत्यधिक राजनीतिकरण हो सकता है। यह CITES सदस्यता की स्वैच्छिक प्रकृति की ओर इशारा करता है, इसलिए कोई भी इसके निर्देशों का पालन करने के लिए सख्ती से बाध्य नहीं है।

हालाँकि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के मुद्दे लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, इसमें शामिल दलों की संख्या को देखते हुए, इस तरह के पैमाने के समझौतों में उनका जनादेश आम है। वे इस निहित समझौते पर टिके हैं कि निकायों के पास आमतौर पर दंड देने की शक्तियां नहीं होती हैं, कम से कम प्रतिबद्धता का एक स्तर होता है जो पहले कदम के रूप में कुछ सामान्य आधार सुनिश्चित करता है।

CITES को कुछ सफलताएँ भी मिली हैं, दक्षिण अमेरिकी विचुना (ऊँट परिवार का एक छोटा सदस्य) और नील मगरमच्छ को ठीक करने में मदद मिली है। साथ ही, 1989 में कन्वेंशन पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद कई बार हाथीदांत व्यापार की अनुमति देने जैसे मामलों पर इसकी ढिलाई पर सवाल उठाया गया है। आलोचकों ने दावा किया कि 1999 और 2008 में CITES द्वारा बरामद हाथी दांत या प्राकृतिक कारणों से हाथियों की मौत की एकमुश्त बिक्री की अनुमति के बाद वैश्विक स्तर पर हाथियों के अवैध शिकार में तेज वृद्धि हुई थी।

संभावित प्रश्न (Expected Question)

प्रश्न : निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. CITES, सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली पशुओं और पौधों की प्रजातियों के अस्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये खतरे में न डाला जाए।
2. भारत में वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो एक वैधानिक निकाय है जो देश में संगठित वन्यजीव अपराध से मुकाबला करने के लिए लाया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements-

1. CITES is an international agreement between governments that aims to ensure that the existence of wild animal and plant species is not threatened by international trade.
2. The Wildlife Crime Control Bureau in India is a statutory body brought in to combat organized wildlife crime in the country.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

उत्तर : C

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : CITES क्या है तथा यह वन्यजीवों का संरक्षण किस तरह करता है? वन्यजीवों के संरक्षण को लेकर इसके कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। **(250 शब्द)**

उत्तर का दृष्टिकोण :-

- CITES क्या है एवं यह किस तरह वन्यजीवों का संरक्षण करता है बताएं।
- उदाहरण सहित वन्यजीवों के संरक्षण के लिए CITES के कार्य एवं इसके कार्यों पर की जा रही आलोचना को भी बताएं।
- संतुलित निष्कर्ष दीजिए।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।